प्रेस नोट- थाना पुवायां

जनपद शाहजहांपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 05.07.2025

"थाना पुवायाँ पुलिस ने वादी द्वारा पुरानी मुकदमेबाजी को लेकर प्रतिवादीगण को झूठे मुकदमे में फसाने के उद्देश्य से आत्महत्या को हत्या दिखाकर दर्ज कराये गये मुकदमे का 48 घण्टे मे किया पर्दाफाश"

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.07.2025 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र राजकुमार ग्रा0 कुंवरपुर जप्ती थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर द्वारा प्रतिवादीगण 1.अमित मिश्रा 2.अनुज मिश्रा 3.आलोक मिश्रा पुत्रगण प्रेमपाल मिश्रा 4. गौरव पुत्र अशोक कुमार 5.विजय पुत्र राजीव कुमार समस्त निवासीगण ग्राम कुवंरपुर जप्ती थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर द्वारा अपने भान्जे अपूर्व अवस्थी पुत्र मनीष अवस्थी नि0 ग्रा0 भीखमपुर थाना मितौली जि0 लखीमपुर (खीरी) जो अपनी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण बचपन से अपने मामा के घर ग्राम कुँवरपुर जप्ती मे रहा था की प्रतिवादीगणो द्वारा गोली मार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध **मे थाना पुवायां पर मु0अ0सं0 506/25 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/190 बीएनएस** अभियोग पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक पुवायां द्वारा की जा रही हैं। उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल साक्ष्य संलकन करते हुए घटना कारित करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण ने प्रभारी निरीक्षक पुवायां द्वारा विवेचना को प्रारम्भ कर साक्ष्य सलकन की कार्यवाही के दौरान बयान वादी व निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन सीडीआर व सीसीटीवी फुटेज (डिटिजल साक्ष्य) संकलन आदि से वादी द्वारा प्रतिवादीगणो के द्वारा हत्या कारित करने की दर्शायी गयी घटना के कोई साक्ष्य नहीं पाये गये। इसके बाद वादी के घर पर घटना के दिन काम कर रहे राजमिस्त्री व मजदूरो से गोपनीय रूप से जानकारी की गयी तो मजदूरो द्वारा घटना के सम्बन्ध में सही जानकारी दी कि घटना दिनांक 03.07.2025 को मृतक अपूर्व अवस्थी घर पर ही मौजूद था घर पर केवल महिलाएँ थी हम अपना काम कर रहे थे तभी जिस मकान में हम काम कर रहे थे उस मकान की बैठक से फायर की आवाज सुनायी दी हम लोग ने जाकर देखा तो घर में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम अपूर्व उर्फ देव था उसने स्वंय को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी तथा मौके पर मौजूद महिलाएं रोने चिल्लाने लगी और अपने परिवार के लोगो को फोन करके मौके पर बुलाया और अपूर्व उर्फ देव को गाड़ी में अस्पताल लेकर गये थे। मजदूरो के बयानों के आधार पर वादी मुकदमा से मजीद पूछताछ की गयी जिस पर वादी द्वारा भी दुखी होकर बताया कि साहब सच बात तो यह है कि मेरा भाजा अपूर्व अवस्थी पुत्र मनीष अवस्थी अक्सर अपनी मम्मी को याद करता था। दिनांक 03.07.2025 को स्कूल से आने के बाद घर पर ही था हम लोग खेतो पर काम कर रहे थे घर पर महिलाएँ थी और तीन मजदूर काम कर रहे थे तभी मेरे भांजे अपूर्व अवस्थी ने बैठक में जाकर बैठक में रखे सोफे पर बैठकर खुद के गोली मार ली जब हमारे पास फोन आया तो हम लोग घर आये और भांजे अपूर्व को लेकर थाना पुवायाँ व अस्पताल गये थे। चूंकि हमारा प्रतिवादीगण 1. अमित मिश्रा 2. अनुज मिश्रा 3. आलोक मिश्रा पुत्रगण प्रेमपाल मिश्रा 4. गौरव पुत्र अशोक कुमार 5. विजय पुत्र राजीव कुमार समस्त निवासीगण ग्राम कुवरपुर जप्ती थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर से पुरानी मुकदमेबाजी चल रही है तथा इन लोगो के द्वारा हमारे खिलाफ पूर्व में भी झूठा मुकदमा लिखाया था इसलिए लोगो के कहने में आकर हमने इन लोगो के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा दिया। साहब मेरे भांजे अपूर्व अवस्थी द्वारा स्वंय आत्महत्या की है

उसे किसी ने नहीं मारा है। संभवतः, अपूर्व ने अपनी मम्मी की याद में दुखी होने के कारण आत्महत्या की है। इसमे किसी का कोई दोष नहीं है।

वादी के बयानो का घर की महिलाओ द्वारा भी समर्थन किया गया इसके बाद वादी की निशादेही पर अपूर्व अवस्थी द्वारा आत्महत्या किये गये घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त हुए तमचे व अपूर्व अवस्थी के फोन को बरामद किया गया तमंचे के बारे में वादी से जानकारी की गयी तो बताया कि घर में पहले से कोई तमंचा नहीं था शायद यह तमंचा उसी दिन अपूर्व अवस्थी लाया होगा कहाँ से लाया यह हमे जानकारी नही हैं। वादी मुकदमा से अपूर्व अवस्थी के द्वारा आत्महत्या किया जाने के अन्य किसी पहलू के बारे मे जानकारी की गयी तो वादी द्वारा अन्य कोई भी कारण की जानकारी होने से इंकार किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 506/25 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/190 बीएनएस थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगीः-

1. घटना मे प्रयोग किया गया तमंचा
2. मृतक का मोबाइल फोन

खुलासा करने वाली पुलिस टीम :-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रविकरन सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

2. अपराध निरीक्षक राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

3.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

4. का0 1300 विपुल मलिक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

5. का0 1870 बिजेन्द्र सिह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

6. का0 1873 मनीष देशवाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर